164

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः—श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक पुर्नविलोकन 1258—तीन/2003 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—06—2003 के द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी—2668—चार/2002

.....

1— उमेशनारायण पचौरी
पिता रामेश्वर पचौरी
2— हरकृष्ण आत्मज रामेश्वर पचौरी
निवासी —ग्राम मैनी तहसील वर्तमान शहपुरा
जिला—जबलपुर, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1— श्रीमती सावित्रीबाई पटैल
पत्नी स्व. दयाशंकर पटैल
2— महेशनारायण पचौरी
3— ओमनारायण पचौरी
4— महादेवप्रसाद पचौरी
5— मुरली मनोहर पचौरी
सभी निवासीगण—ग्राम मैनी तहसील
शहपुरा जिला—जबलपुर म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 19-9-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुर्नविलोकन न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी—2668—चार/2002 में पारित आदेश दिनांक 24—06—2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि आनवेदकगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत आदेश दिनांक 06.07.1987 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 49–अ–6–अ सन् 1986–87 पारित आदेश द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, पाटन एवं आदेश दिनांक 31.08.2000, प्रकरण राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 3–अ/6 सन् 1996–97 पारित अपर कलेक्टर, जबलपुर के आदेश के विरूद्ध धारा–50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर में प्रस्तुत किया। न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के समक्ष तत्कालीन सदस्य महोदय ने उपरोक्त प्रस्तुत पुनरीक्षण में दिनांक 24.06.2003 को आदेश पारित करते हुये, पूर्व के न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अनावेदकगणों के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। न्यायालय राजस्व मण्डल के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा पुनर्विलोकन प्रस्तुत की गई ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि उक्त प्रकरण में आवेदकगणों को आहूत करना था विधिवत नोटिस देना था जो कि आवेदकगणों को नोटिस देकर तामील करना था परन्तु आवेदकगणों को कोई नोटिस नहीं दिया गया ना ही आवेदकगणों को कोई नोटिस उपरोक्त वर्णित प्रकरण में नहीं मिला, एवं प्रकरण एक पक्षीय द्योषित किया गया है। उपरोक्त वर्णित प्रकरण में श्रीमती दयवन्तीबाई आत्मजा रामेश्वर, आवश्यक पक्षकार थी, जिसकी मृत्यु हो गयी है मृत्योपरांत उसके वारसानों को आवश्यक पक्षकार बनाना था जो नहीं बनाया है। आवेदकगणों को उपरोक्त प्रकरण में नोटिस तामील नहीं किया गया ना ही सूचित किया है तथा आवेदकगणों के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए अनावेदकगण आवेदकगणें के पक्ष में एक तरफा निर्णय निर्णीत किया है जो पूर्णतः न्याय विरूद्ध है इससे आवेदकगणों को अपूरर्णीय क्षति हो रही है। अतः पुर्नविलोकन का आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदकगण के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी, पाटन के आदेश दिनांक 06.07.87 में स्पष्ट दर्शी त्रुटि जाती है । उनके

आदेश दिनांक 06.07.87 के अनुसार खसरा नं0 26 का 0.63 है0 रकबा कम करके उसे श्रीमती दमयंतीबाई के खसरा नं0 27 में अनाधिकृत रूप से जोड़ दिया गया है । उपरोक्त प्रकरण में अनावेदक दयाशंकर पक्षकार भी नहीं थे। सहायक बंदोबस्त अधिकारी ने अपने आदेश अंकित किया है कि संहिता की धारा 115 के अंतर्गत एतद द्वारा आदेश पतिर किया जाता है कि पटवारी के नये नक्शे में खसरा नं0 26 में बना हुई लाईन से खसरा नं0 27 की सीमा बनाई जाये । इस प्रकार खसरा नं0 26 के क्षेत्रफल में से 0.63 है0 क्षेत्रफल खसरा नं0 27 में अनावेदिका दयमंतीबाई के नाम दर्ज किया जाये । उक्त आदेश में क्षेत्रफल 0.63 है0 कम करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता । इसी प्रकार अपर कलेक्टर, जबलपुर ने अपने आदेश दिनांक 31.08.2000 द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी के आदेश को यथावत रखा। अतः अपर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा पारित आदेश भी विधि विरूद्ध प्रतीत होता है । संहिता की धारा 115 में स्पष्ट प्रावधान है कि संबंधित हितबद्ध पक्षकारो को विधित नोटिस देना चाहिये। उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देना चाहिये और विधिवत जांच की जानी चाहियं । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने संहिता की धारा 115 में दी गई प्रक्रिया का पालन न करते हयु आदेश पारित किया जो मेरे मतानुसार विधि के विरूद्ध होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश क्रमशः 06.07.87 एवं 31.08.2000 निरस्त किये जाने योग्य है। न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है । मैं न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–06–2003 से सहमत हूँ ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में पुर्नविलोकन का आवेदन–पत्र अस्वीकार किया जाता है । प्रकरण समाप्त किया जाकर, दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर